उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 234वीं बैठक
दिनांक 15 सितम्बर, 2015 का कार्यवृत्त

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 234वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री सदाकान्त, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई , जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे :-

1-	श्री सदाकान्त	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन,उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2-	प्रो0(डॉ0) सुरभि शुक्ला	उपाध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3-	श्री सिद्धार्थ सिंह	उपाध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
4-	श्री सुशील कुमार टिबड़ेवाल	उपाध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
5-	श्री शहाबुद्दीन मोहम्मद	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
6-	श्री रुद्र प्रताप सिंह	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	सचिव
7-	श्री रंजन मिश्र	वित्त नियंत्रक	सदस्य
8-	श्री आर.के.अग्रवाल	मुख्य अभियंता	सदस्य
9-	श्री ए.के.मिश्र	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0	सदस्य
11-	सुश्री नीरजा कृष्णा	संयु. निदे.,प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव सार्व. उद्यम विभाग	सदस्य
12-	श्री एस.के.सिंह	उप सचिव, प्रतिनिधि सचिव, नगर विकास	सदस्य
13-	श्री सुभाष चन्द्र	अनु सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
14-	श्री ओ.पी.मिश्र	मुख्य अभियंता,उपाध्यक्ष, लख.वि. प्राधिकरण,लखनऊ आमंत्री	सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद ने निदेशक मण्डल तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये :-

विषय सूची

मद सं0	विषय	निर्णय
234/1	परिषद की 233वीं बैठक दिनांक 12 मई,2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की 233वीं बैठक दि0 12.05.15 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
234/2	परिषद की 233वीं बैठक दिनांक 12 मई,2015 की अनुपालन आख्या।	परिषद की 233वीं बैठक दि0 12.05.15 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

अनुरक्षण अनुभाग

234/3	परिषद मुख्यालय पर पुराने मुख्य निष्प्रयोज्य भवन को तोड़कर उसके स्थान पर नये कार्यालय भवन के निर्माण हेतु रु0 3476.71 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त, परिषद मुख्यालय के पुराने मुख्य निष्प्रयोज्य भवन को तोड़कर उसके स्थान पर नये कार्यालय भवन के निर्माण हेतु रु0 3476.71 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि एक बेहतरीन बिल्डिंग निर्मित की जाय तथा आर्कीटेक्ट से यूटिलाईजेशन प्लान बनाकर उसे कार्यरूप में परिणत किया जाय।

प्रशासन अनुभाग

234/4	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में नियुक्त मुख्य विधि परामर्शदाता के सेवाकाल को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव एक वर्ष हेतु अनुमोदित किया गया।
234/5	श्री देवेन्द्र कुमार त्यागी, अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, जिनकी सेवाएं परिषद में ओ0एस0डी0 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है, को एक वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।
234/6	परिषद के नियमित कार्यप्रभारित कर्मचारियों के लिए लिपिकीय संवर्ग (समूह 'ग') के न्यूनतम वेतनमान के पदों में पदोन्नति के अवसर बढ़ाये जाने विषयक।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का पुनर्परीक्षण कर (अन्य विभागों का भी अध्ययन करते हुए), आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
234/7	दैनिक वेतन लिपिक के रूप में कार्यरत कर्मचारियों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त अधिसंख्य पदों के सृजन का प्रस्ताव अनुमोदित करने के साथ ही वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 उ0प्र0शासन के शासनादेश सं0 44/2015/वे0आ0–2–795/दस–54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 13.08.2015 को अंगीकार किया गया।
234/8	संगणक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा भरे जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का पुनर्परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
234/9	उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली–2013 को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में अंगीकृत किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली –2013 को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
234/10	दिनांक 01.01.2015 से महगाई भत्ता, पुनरीक्षित दर से अनुमन्य किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
234/11	परिषद के पेंशनरों को दि0 01.01.15 से महगाई भत्ता, पुनरीक्षित दर से अनुमन्य किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

234/12	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सहायक वास्तुविद नियोजक सेवा विनियमावली–1979 (यथासंशोधित) में संशोधन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
234/13	मा0 निदेशक मण्डल की 231वीं बैठक दिनांक 09.12.14 के मद संख्या 231/30 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के परीक्षण हेतु समिति की बैठक दिनांक 08.06.2015 के कार्यवृत्त की संस्तुतियों के अनुमोदन के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न संवर्गो में ढांचा परिवर्तन से सम्बंधित हुए शासनादेशों का अध्ययन करने एवं उनकी संस्तुति आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु आवास आयुक्त एक समिति गठित करेंगे।

वाराणसी–जोन

234/14	परिषद की झूँसी योजना सं0–3 इलाहाबाद स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या 2/47एफ एवं आवासीय भूखण्ड संख्या 2/47जी के विरूद्ध अतिरिक्त ब्याज माफी सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि ओ0टी0एस0 योजना का लाभ दिये जाने के लिए प्रकरण सम्बंधित सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय को संदर्भित किया जाय तथा आवेदक को भी सूचित किया जाय।
234/15	कटरा योजना, बस्ती स्थित भूखण्ड सं0 11/3/15 का आवंटन विशेष परिस्थितियों में बिना नीलामी में वर्तमान आवासीय दर पर श्री अनूप पाण्डेय, पूर्व विधायक को आवंटित किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का परीक्षण कर 'परिषद सम्पत्ति आवंटन' सम्बंधित विद्यमान सुसंगत नियमों के आलोक में प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निर्णय लिया गया।

लखनऊ–जोन

234/16	परिषद की इन्दिरा नगर योजना स्थित दुर्बल आय वर्ग भवन संख्या–17/459 के विरूद्ध आरोपित दण्ड ब्याज माफी के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि ओ0टी0एस0 योजना का लाभ दिये जाने के लिए प्रकरण सम्बंधित सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय को संदर्भित किया जाय तथा आवेदक को भी सूचित किया जाय।
234/17	परिषद की राजाजीपुरम योजना स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या सी–7/104 के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूखण्ड पर आरोपित दण्ड ब्याज रू0 36,383.00 माफ किये जाने के का निर्णय लिया गया।
234/18	परिषद की इन्दिरानगर योजना स्थित दुर्बल आय वर्ग भवन संख्या 19/665 के विरूद्ध आरोपित दण्ड ब्याज माफ किये जाने एवं पुनः किश्तें निर्धारित किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि ओ0टी0एस0 योजना का लाभ दिये जाने के लिए प्रकरण सम्बंधित सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय को संदर्भित किया जाय तथा आवेदक को भी सूचित किया जाय।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

234/19	भूखण्ड सं0 बी–215 इन्दिरानगर लखनऊ का भू उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित किए जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड सं0 बी0–215 का आंशिक भाग (लगभग 20%) ही 18 मी0 सड़क के केन्द्र से 50 मी0 गहराई में आता है जबकि अधिकांश भाग (लगभग 80%) 50 मी0 की गहराई से बाहर है जिसके कारण प्रश्नगत भूखण्ड का भू उपयोग व्यवसायिक में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
234/20	पेट्रोल/डीजल रिटेल आउटलेट्स एवं एल0पी0जी0 स्टोरेज गोडान्स की स्थापना से सम्बन्धित मानकों में संशोधन तथा इस हेतु महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान/ले आउट प्लान के अन्तर्गत भूखण्ड चिन्हित करने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान /ले आउट प्लान के अर्न्तगत भूखण्ड चिन्हित करने के सम्बंध में शासनादेश सं0 432/8–3–15–261 विविध/11 दिनांक 31, मार्च 2015 को अंगीकृत किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

234/21	जनपद हरदोई में यू0पी0 शुगर केन डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0 की हरदोई स्थित शुगर फैक्ट्री की रिक्त भूमि को क्रय करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित कर शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
234/22	गाटा संख्या–470 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा 15 विस्वांसी स्थित ग्राम–बटहा सबौली तहसील सदर लखनऊ को अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि न्याय विभाग, उ0प्र0शासन द्वारा दिये गये परामर्श के क्रम में परिषद की 288 वी बैठक दिनांक 18.06.14 में पारित निर्णय को स्थगित करते हुए एक समिति गठित की जाय। उक्त समिति सम्पूर्ण परिस्थितियों का विधिक परीक्षण आदि कर, सुविचारित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी।
234/23	नगरीय विकास प्रभार शुल्क/ विकास शुल्क के निर्धारण से सम्बन्धित आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के अधिसूचना संख्या–1811 /8–3–14–211विविध/13 दि0 17.11.2014 के द्वारा "उत्तर प्रदेश नगर–योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली 2014" एवं अधिसूचना संख्या–2122/8–3– 14	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त नगरीय विकास प्रभार शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण और नियमावली 2014 के परिप्रेक्ष्य में परिषद की नियमावली के आलोक में परीक्षण कर अपनी संस्तुति आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु वित्त नियंत्रक, मुख्य अभियंता, मुख्य विधि परामर्शी, मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0 तथा श्री एन.आर.वर्मा. सलाहकार, आवास बन्धु की समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया।

	–211/विविध/13 दि0 17.11.2014 के द्वारा नगरीय विकास प्रभार शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण और नियमावली 2014 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	
234/24	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सिकन्दरा योजना आगरा के अन्तर्गत स्थित खसरा संख्या–727/1 मौजा–बोदला, तहसील–सदर, जनपद–आगरा पर बनी हुई आबादी लगभग 439.94 वर्ग मीटर के भूखण्ड को वर्तमान आवासीय दर पर श्री ज्योति प्रसाद के पक्ष में आवंटित करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि परिषद द्वारा अपर आवास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्ताव पुनर्परीक्षण हेतु संदर्भित किया जाय तथा आवास आयुक्त समिति की संस्तुति का परीक्षण कर प्रकरण निस्तारण हेतु आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।
234/25	परिषद की घटवासन योजना (कमला नगर) आगरा में स्थित खसरा संख्या–1245 की 1031.53 वर्गमीटर भूमि वर्तमान व्यवसायिक दर आवंटित करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त मद सं0 234/24 में लिए गये निर्णय के अनुरूप कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।
234/26	इन्दिरानगर विस्तार योजना लखनऊ के अन्तर्गत स्थित समीउद्दीनपुर के खसरा संख्या 427 के कुल भूमि 0–12–0 विस्वा भूमि पर निर्मित धारा–28 से पूर्व बने मकान, टयूबवैल शिव मंदिर की भूमि का क्षेत्रफल 46.93 वर्गमीटर का वर्तमान दर का आसुधार शुल्क लेने एवं अवशेष 1518.00 वर्गमीटर भूमि को वर्तमान दर पर आवंटित किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त मद सं0 234/24 में लिए गये निर्णय के अनुरूप कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्पत्ति प्रबंध अनुभाग

234/27	परिषद योजनाओं में स्थित शैक्षिक भूखण्डों के भुगतान की पद्धति के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव शासनादेश के अनुरूप न होने के फलस्वरूप निरस्त किया गया।
234/28	परिषद की सिकन्दरा योजना आगरा में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या – 759 सेक्टर–14 के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।
234/29	समाजवादी आवास योजना के बहुमंजिले भवनों के पंजीकरण के संबंध में शुद्धि पत्र।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त मात्र फलैट्स के लिए सम्पत्ति सीमा शिथिल किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

234/30	उत्तराखण्ड राज्य में स्थित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की सम्पत्तियों के बंटवारे के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर गहन एवं गम्भीर मंत्रणा की गयी। उत्तराखण्ड के विभाजन से पूर्व परिसम्पत्तियां उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के विधिक स्वामित्व में हैं तथा उस पर विधिक एवं प्रशासनिक अधिकार/ शक्तियां परिषद में निहित है। कार्यालय आदेश सं0 2424/ दिनांक 12.02.2013 का अवलोकन किया गया, जिसमें उत्तराखण्ड राज्य में परिषद द्वारा सृजित सम्पत्तियों के मानचित्रों के निस्तारण की कार्यवाही का अधिभार समाप्त किया गया था, को विधिक एवं प्रशासनिक रूप से उचित न पाये जाने के दृष्टिगत उसे निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि यह विवाद दोनों राज्यों के मध्य का है, इसलिए शासन को पूर्ण स्थिति से अवगत कराते हुए प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाय।
234/31	किच्छा आवास योजना किच्छा में स्थित दुर्बल आय वर्ग भवन संख्या–बी–122 की शेष ब्याज सहित माफ किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि ओ0टी0एस0 योजना का लाभ दिये जाने के लिए प्रकरण सम्बंधित सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय को संदर्भित किया जाय तथा आवेदक को भी सूचित किया जाय।
234/32	परिषद की आम्रपाली योजना लखनऊ स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–ई–1/काम–1 के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
234/33	सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर–3 में स्थित स्कूल भूखण्ड संख्या–3/एस0सी0एच0–02 क्षेत्रफल 16200.00 वर्गमीटर के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त वर्णित अनुरोध में विशिष्ट परिस्थिति के दृष्टिगत प्रस्ताव इस शर्त के अधीन अनुमोदित किया गया कि इस प्रकरण को अन्य किसी प्रकरण में दृष्टान्तस्वरूप नही माना जायेगा।
234/34	परिषद की जिगर बिहार योजना, मुरादाबाद में स्थित अल्प आय वर्ग भवन संख्या–जी0ए0–321 पर आरोपित दण्ड ब्याज माफी के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि ओ0टी0एस0 योजना का लाभ दिये जाने के लिए प्रकरण सम्बंधित सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय को संदर्भित किया जाय तथा आवेदक को भी सूचित किया जाय।

विधि अनुभाग

234 / 35	परिषद अधिवक्तागण को देय फीस के पुर्ननिर्धारण के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अभियंत्रण अनुभाग

234 / 36	परिषद योजनाओं में पार्को / ग्रीन बेल्ट के समुचित विकास / रख रखाव को स्थानीय निकाय को हस्तानान्तरण तक निजी संस्थाओं / जन सहभागिता के माध्यम से कराने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के अधीन अनुमोदित किया गया कि निजी संस्थाओं / जन सहभागिता को प्रारम्भ में मात्र दो वर्ष के लिए परिषद योजनाओं में पार्को / ग्रीन बेल्ट के समुचित विकास / रख रखाव हेतु दिया जायेगा, तदोपरान्त आवास आयुक्त द्वारा परीक्षण करने के उपरान्त ही नवीनीकरण करने पर विचार किया जायेगा।
234 / 37	मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद में समाजवादी आवासीय योजना के अन्तर्गत 4128 नग बहुमंजिले भवनों के निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के निरस्तीकरण के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद में समाजवादी आवासीय योजना के अन्तर्गत 4128 नग बहुमंजिले भवनों के निर्माण कार्य हेतु रू0 61708.97 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव परिषद की 233वी बैठक दिनांक 12.05.15 मद सं0–32 द्वारा अनुमोदित किया गया था, को विक्रयशीलता नहीं होने के कारण निरस्त किये जोन का निर्णय लिया गया।

पंजीकरण अनुभाग

234 / 38	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में मा0 न्यायमूर्ति, श्री राजीव शर्मा को आवंटित भूखण्ड संख्या–16ए / 2037 क्षेत्रफल 179.80 वर्गमीटर के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर अपर आवास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित कर उसकी संस्तुति आगामी बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

समन्वय अनुभाग

234 / 39	परिषद सेवको व उनके आश्रितो को अत्यंत गम्भीर प्रकृति की बीमारियों व उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति तथा चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

सेवोत्तम प्रकोष्ठ

234 / 40	परिषद में "सेवोत्तम माडल" विकसित किये जाने हेतु भारतीय मानक IS15700:2005 के प्रस्तर 7.3(J) के अनुसार "Ombudsman" नामित किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

ग्लोबल सेल

234 / 41	डी0एल0एफ0 लि0 के 632 नग एल0आई0जी0 तथा 632 नग ई0डब्लू0एस0 फ्लैट्स के निर्माण हेतु 6.875 प्रतिशत परिषद सेन्टेज के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

अभियंत्रण अनुभाग

234 / 42	परिषद की अवध विहार योजना, लखनऊ के अन्तर्गत अवध शिल्प ग्राम के निर्माण की प्रगति एवं आ रही अतिरिक्त लागत के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त परिषद की अवध विहार योजना, लखनऊ के अन्तर्गत अवध शिल्प ग्राम के निर्माण की प्रगति एवं आ रही अतिरिक्त लागत को संज्ञान में लिया गया।

प्रशासन अनुभाग

234 / 43	बोर्ड आफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (नार्दन रीजन), कानपुर द्वारा संदर्भित किये गये Engineering Graduate/Technician (Diploma holders+2 passed vocational certificate holders को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में एक वर्षीय अप्रेन्टिसशिप (Apprenticeship) कराये जाने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव पर आवास आयुक्त एक समिति गठित करेंगे, उक्त समिति समस्त बिन्दुओं पर विचार कर एक सुविचारित प्रस्ताव संस्तुति सहित, आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी।
234 / 44	परिषद में कम्प्यूटर पर कार्य कर रहे कार्मिकों को प्रदत्त कम्प्यूटर भत्ता रू0 300.00 के स्थान पर रू0 700.00 प्रदान किये जाने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव वापस लिये जाने का निर्णय लिया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

234 / 45	परिषद की इन्दिरा नगर द्वितीय विस्तार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखनऊ के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक रूप से सहमति व्यक्त की गयी तथा परिषद को कोई आर्थिक क्षति न हो, इसका परीक्षण कर शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

234/46	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सिकन्दरा योजना आगरा के सेक्टर–9 में समाविष्ट ग्राम वाहिस्तावाद परगना व तहसील व जिला–आगरा के खाता संख्या–48 गाटा संख्या–1148, 1149, 1150, 1151 क्षेत्रफल 4683.00 वर्गमीटर भूमि में 2683.00 वर्गमीटर भूमि वर्तमान दर पर आवंटित करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव, समिति की संस्तुति के आधार पर निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
234/47	परिषद की सुल्तानपुर रोड (अवध विहार योजना), लखनऊ के अन्तर्गत अर्जित ग्राम सरसवां, हरिहरपुर एवं अहिमामऊ की 302.95 हेक्टेअर अधिग्रहीत भूमि डेन्जर जोन/फायरिंग रेंज से प्रभावित भूमि का अनिवार्य एवार्ड घोषित किये जाने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

सम्पत्ति प्रबंध अनुभाग

234/48	परिषद की वृन्दावन योजना, लखनऊ में इन्डो–यूरोपियन हार्ट हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर प्रा0लि0 को 32.00 एकड़ भूमि आवंटन के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव को सुसंगत नियमों के आलोक में गुण–दोष के आधार पर कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।
234/49	मिश्रित भू–उपयोग के भूखण्डों हेतु दरों का निर्धारण ।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अभियंत्रण अनुभाग

234/50	मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर–15, 16 व 17 में समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत स्टिल्ट–4 के 01 बी0एच0के0 के 1216 नग तथा 02 बी0एच0के0 के 2464 नग अर्थात कुल 3680 नग फ्लैट के निर्माण कार्य।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद में सेक्टर–15, 16 व 17 में समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत स्टिल्ट+4 के 1 बी.एच.के. के 1216 नग तथा 02 बी.एच.के. के 2464 नग अर्थात् कुल 3680 नग फ्लैट के निर्माण कार्य हेतु रु0 32954.09 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

234/51	परिषद की अहस्तान्तरित योजनाओं में विभिन्न प्राइवेट एजेन्सीज द्वारा विज्ञापन पट लगाये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त एक समिति गठित करेंगे जो संपूर्ण प्रकरण का परीक्षण (दरें एवं स्थल चिन्हीकरण आदि बिन्दुओं) कर उस की संस्तुति आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।
234/52	समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत लखनऊ स्थित परिषद योजनाओं में मूल्यांकन निर्देशिका के अनुसार कन्टीजेन्सी, प्रशासनिक व्यय, मेन्टीनेन्स एवं अन्य सेन्टेज चार्जेज न लिये जाने के संबंध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। परिषद अधिकारियों के अनुसार उच्च विशिष्टियों, गुणवत्तायुक्त एवं भूकम्परोधी भवन शासन द्वारा निर्धारित विक्रय लागत में बनाया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। महासचिव, इंजीनियर्स एसोसिएशन के पत्र दिनांक 04.09.15 द्वारा वर्णित आपत्तियों पर परिषद के दो अधीक्षण अभियंताओं की आख्या को संज्ञान में लिया गया। दोनों अधीक्षण अभियंताओं की आख्या के अनुसार प्रस्तावित भवनों को 'शियरवाल तकनीक' पर बनाया जायेगा, जो भूकम्परोधी, अच्छी फिनिसिंग, उच्च विशिष्टियों एवं उच्च गुणवत्ता के हैं। इनकी लागत को अन्य स्थानों पर आ रही लागत से तुलना किया जाना समीचीन नही है। अतः समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत केवल प्रस्तावित भवनों को उच्च गुणवत्ता के साथ शासन द्वारा निर्धारित लागत–सीमा में निर्मित करने के लिए विशेष परिस्थितियों में सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मूल्यांकन अनुभाग

234/53	भूमि दरों के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

समन्वय अनुभाग

234/54	श्री जगदीश प्रसाद, सहकारी अधिकारी (आवास) की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
234/55	श्री नन्द किशोर, कनिष्ठ सहायक के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के संबंध मे।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

प्रशासन अनुभाग

234/56	वेतन समिति (2008) के सातवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर परिषद कार्मिकों को दिनांक 14.01.2010 से अनुमन्य कराये गये पुनरीक्षित वेतन संरचना का वास्तविक लाभ दिनांक 01.01.2006 से अनुमन्य कराये जाने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त मांग पर सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त की गयी तथा प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
234/57	पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बंध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील सं0 2608/2011, यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27.04.2012 का अनुपालन कराये जाने के सम्बंध में निर्गत कार्मिक अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 21.08.2015 के अनुपालन में, पूर्व अधीक्षण अभियंता सर्व श्री नरसिंह प्रसाद, प्रवेन्द्र कुमार एवं सन्तू राम की अधिशासी अभियंता के पद पर की गई पदावनति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

लखनऊ जोन

234/58	परिषद के इन्दिरा नगर लखनऊ में एस0एफ0एस0 के अवशेष रिक्त भवनों के विरूद्ध पंजीकृत श्री प्रमोद कुमार मिश्रा को भवन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर आवास आयुक्त को गुण–दोष के आधार पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

वास्तुकला नियोजन अनुभाग

234/59	परिषद की यू0पी0आई0एल0 योजना, लखनऊ में सिटी माण्टेसरी स्कूल को आवंटित भूखण्ड के एफ0ए0आर0 के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पुनर्परीक्षण हेतु वापस किये जाने का निर्णय लिया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

234/60	परिषद की 232वीं बैठक दिनांक 26.03.2015 में भूमि अर्जन से सम्बंधित प्रकरणों में लिये गये निर्णयों के अनुपालन के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त मद सं0 234/24 में लिए गये निर्णय के अनुरूप कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

234/61	परिषद की लोनी रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गाजियाबाद की समितियों की भूमि के समायोजन के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
234/62	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की दिल्ली सहारनपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (मण्डोला विहार) में भू-स्वामियों द्वारा धारा-28 से पूर्व एवं बाद में किये गये निर्माणों को अर्जनमुक्त किये जाने सम्बंधी किसानों की मांग के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
234/63	परिषद की दिल्ली बुलन्दशहर बाईपास मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (सिद्धार्थ विहार) गाजियाबाद में दिनांक 22.02.2014 को नीलाम किये गये नवसृजित बल्क सेल भूखण्ड 4/बी0एस0-3 एवं 4/बी0एस0-4 में समाविष्ट सहकारी आवास समितियों की भूमि समायोजन के फलस्वरूप उनको देय भूमि के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
234/64	श्री देवेन्द्र पुत्र श्री बुद्धे ग्राम-ब्रह्मपुर उर्फ भौपुरा तहसील व जिला गाजियाबाद के लोनी रोड योजना, गाजियाबाद के अन्तर्गत भूमि खसरा सं0 704, 705 को अधिग्रहण से मुक्त रखने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त मद सं0 234/24 में लिए गये निर्णय के अनुरूप कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।
234/65	परिषद की भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3, झूंसी, इलाहाबाद में समाविष्ट आराजी सं0 298 रकबा 9 बिस्वा 10 बिस्वासी स्थित ग्राम झूंसी कोहना, इलाहाबाद को आउट आफ कोर्ट सेटेलमेंट करते हुए श्री कौशलेन्द्र शुक्ल, आदि के पक्ष में समायोजन किये जाने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त मद सं0 234/24 में लिए गये निर्णय के अनुरूप कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।
234/66	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	

अनुमोदित

(सदाकान्त)
अध्यक्ष